लक्ष्मण सिंह बनाम सरकार

अपील संख्या : 2023/34

03.02.2023	पत्रावली पेश हुई । उक्त अपील विद्वान् अभिभाषक श्री अजीत जैन ने न्यायालय उप जिला कलक्टर इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 35/2022 प्रार्थना पत्र मे पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है । अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 63, 22, 23, 24 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर ग्राम खेड़ली महाराजी की खसरा संख्या 443 रकबा 0.15 हेक्टेयर, खसरा संख्या 450 रकबा 3.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 451 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 3.72 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे बारानी तथा नहरी दोयम के रूप मे दर्ज है। जिस पर अपीलांटगण पिछले 30 वर्षो के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात को लावारिस मानते हुए राज्य सरकार ने सरकारी भूमि दर्ज की है, क्योंकि यह भूमि पूर्व मे मांग्या पिता गौरू के नाम दर्ज रही होगी। लेकिन उक्त भूमि पर मृतक मांग्या के बाद अपीलांटगण व उनके परिवार के लोग निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात सन् 2010 मे सिवायचक दर्ज थी, तब से ही प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण नियमानुसार उक्त भूमि पर जुर्माना राशि जमा करते चले आ रहे है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपीलांटगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल करना चाहते है, जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है। अपीलांटगण ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिये एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को स्थगन देना उचित

नही मानते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए अप्रार्थी को मात्र जरिये सम्मन नोटिस से तलब किये जाने का आदेश दिनांक 08.12.2022 को पारित किया है। जबकि अप्रार्थी अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 35/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2022 निरस्त फरमाया जावे तथा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह अप्रार्थी को ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल नहीं करे तथा बोली नही लगावे व प्रार्थीगण अपीलांटगण के वादग्रस्त आराजीयात मे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा नहीं करे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । हस्तगत प्रकरण मे अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायलय मे प्रस्तुत किया जाकर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित फोटो प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार दिनांक 03.11.2022 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया जाना अंकित है। तत्पश्चात दिनांक 08.12.2022 की आदेशिका मे उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुना जाना अंकित है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेशिका दिनांक 08.12.2022 मे यह भी अंकित किया है कि "प्रकरण मे अप्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा को सुनवाई का अवसर दिये जाने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से असहमत है। पत्रावली वास्ते बइन्तजार सम्मन हेतु दिनांक 10.01.2023 को पेश हो।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 08.12.2022 मे स्थगन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अप्रार्थी को सुना जाना आवश्यक माना है। पत्रावली अभी बइन्तजार सम्मन की स्टेज पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होना मानकर आदेश दिनांक 08.12.2022 पारित किया है। जिसमें वर्तमान स्तर पर कोई हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं

होती। अपीलान्ट ने हमारे समक्ष ऐसे कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में प्रतीत होता हो । हम प्रकरण मे इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा